भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES सत्यमेव जयते

माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० न्यायालय

R-842-PBR/14

प्र०क्र०:- ।निगरानी। ।२०१३-१४।

दिनांक 10.3.14 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
10.3.14
A.S.O.

10/3/14

ममता पुत्री बाबूलाल पत्नी श्यामसुन्दरशर्मा
निवासी ग्राम बिलारा हाल निवास
हनुमाननगर गोले का मन्दिर ग्वालियर

-- प्रार्थिया

बनाम

ग्यादीन पुत्र रामस्वरूप निवासी कृषी-
ग्राम बिलारा हाल निवास तृतप्तीनगर
मुरार

---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०संहिता १९५९ विरुद्ध अपर तहसीलदार वृत्त मुरार ग्वालियर बेहट के प्रकरण क्र० १०।१३-१४। अ-६ मे पारित आदेश दिनांक २४-२-२०१४।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार पेश है :-

१- यह कि, ग्राम बिलारा मे स्थित कृषिभूमि सर्वे क्रमाक ३४९,३५७, ३५९, ४५७, ४८५, ५९९, ६०२, १००५, १०१९, ३५८ कुल किता १० कुल रकवा ३.६१० हे० के प्रार्थिया के पिता बाबूलाल पुत्र भोगीराम भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थे। जो कि उक्त कृषिभूमि भूमि प्रार्थिया के पिता को पूर्वजो से प्राप्त हुई थी अर्थात् पैतृक थी।

२- यह कि, प्रार्थिया का उक्त पैतृक कृषिभूमि मे जन्म सिद्ध हक अधिकार होने के आधार पर व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग-२ ग्वालियर के समक्ष हक घोषणा का दावा दिनांक ७-८-२०१३ को प्रस्तुत

निगरा

१- यह
होने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 842–पीबीआर/14 जिला ~~इंदौर~~ ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–2–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक के द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति आपत्तिकर्ता को दी जाकर प्रकरण अंतरिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक को बिना साक्ष्य का अवसर दिये प्रकरण तर्क हेतु नियत करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा आपत्ति पर अंतरिम तर्क हेतु प्रकरण नियत किया गया है और प्रकरण में आगे की कार्यवाही होना शेष है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	